



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 24 जनवरी, 2007 ई0

माघ 04, 1928 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

संख्या 434/उत्तरा0-वि0स0/2007(1)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2007

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तराखण्ड राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/उत्तरा0/2006, दिनांक 01 फरवरी, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर का पदनाम
1	2
21-इकबालपुर	डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार
26-हरिद्वार	असिस्टेंट कलेक्टर/उप जिलाधिकारी, हरिद्वार

आदेश से,

ललित मोहन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi--110 001

No.434/UKH--L.A./2007(1)
Dated New Delhi, January 24, 2007

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Section 21 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby, makes the following amendments in its Notification No. 434/UCL/2006, dated 1st February, 2006, as amended from time to time, relating to appointment of Returning Officers of Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, namely:--

In column (2) of the Table appended to the said Notification, against the names of Assembly Constituencies given below, the entries mentioned against their names shall be substituted:--

TABLE

Number & Name of Assembly Constituency	Designation of Returning Officer
1	2
21--Iqbalpur	Deputy Collector, Hardwar
26--Hardwar	Assistant Collector/Deputy District Officer, Hardwar

By Order,

LALIT MOHAN,
Secretary, Election Commission of India.